सं0 V-11029/42/2019-आयुध

गृह मंत्रालय

शस्त्र अनुभाग/आ0सु0-1 डिवीजन

नई दिल्ली, 04 नवम्बर, 2019

सार्वजनिक सूचना

विषय: आयुध अधिनियम, 1959 में प्रस्तावित संशोधन।

यह आयुध अधिनियम, 1959 को संशोधित करने के लिए प्रस्तावित है। मौजूदा प्रावधानों पर प्रस्तावित और नए संशोधन बयान, अनुलग्नक - 1 में दिए गए हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति प्रस्तावित परिवादों पर अपने विचार या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिए गए प्रारूप में 18/11/2019 तक singh.amarjit@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

क्र0सं0	आयुध अधिनियमए 1959 की धारा	संशोधन के लिए सुझाव	औचित्य

संलग्नक: अनुलग्नक -1

(मुकेश मंगल)

निदेशक (आयुध)

अनुलग्नक-।

आयुध अधिनियम, 1959 में प्रस्तावित संशोधन

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
1.	**धारा 2: परिभाषाएं और निर्वचन**	
	अनुज्ञप्ति	**नया:** - 2(1) (ड.क):"*अनुज्ञप्ति*" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी अनुज्ञप्ति शामिल है। - 2(1) (टट): "ट्रेसिंग" से अवैध विनिर्माण एवं अवैध दुर्व्यापार का पता लगाने, उसकी जांच करने तथा उसका विश्लेषण करने के प्रयोजन हेतु विनिर्माता से क्रेता तक आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद की व्यवस्थित ट्रैकिंग अभिप्रेत है।
2.	**धारा 3: आग्नेयास्त्र और गोलाबारूद को अर्जित करने और अपने पास रखने के लिए अनुज्ञप्ति**	
	हथियारों की संख्या	***मौजूदा:*** 3(2): उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, किसी भी समय तीन अग्न्यायुधों से अधिक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा: ***प्रस्तावित:*** 3(2): उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, किसी भी समय एक से अधिक आग्नेयास्त्र न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा:

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		परंतु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ के समय से अधिक आग्नेयास्त्र हैं, ऐसे आग्नेयास्त्रों में से कोई एक आग्नेयास्त्र प्रतिधारित कर सकेगा और ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर शेष आग्नेयास्त्रों को निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विहित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्त डीलर के पास या, जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में जमा करेगा, जिसके बाद यह अनुज्ञप्ति अगले नब्बे दिनों के भीतर समाप्त कर दी जाएगी, परंतु यह और कि विरासत तथा उत्तराधिकारी के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय एक आग्नेयास्त्र की अधिकतम विहित सीमा का भंग नहीं किया जाएगा।
3.	**धारा 5: अस्त्र और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए अनुज्ञप्ति**	
	अनुज्ञप्ति का दायरा	***मौजूदा:*** 5(1): कोई भी व्यक्ति - किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारूद का तब तक **(क)** न तो उपयोग करेगा, विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; अथवा **(ख)** न विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		प्रस्तावित: 5(1): कोई भी व्यक्ति- किसी भी आग्नेयास्त्र या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं अन्य हथियारों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोला-बारूद का तब तक- (क) न तो उपयोग करेगा, विनिर्माण करेगा, अर्जित करेगा**,** कब्जे में रखेगा**,** विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख अथवा परिसिद्धि करेगा अथवा (ख) न तो विक्रय अथवा अंतरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा अथवा न उन्हें विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख अथवा परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।
4.	**धारा 6: बंदूकों की नाल को छोटा करने अथवा नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति**	
	संपरिवर्तन	***मौजूदा:*** कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित तब के सिवाय न करेगा**,** जब कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो। ***प्रस्तावित:*** कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र की नाल छोटी अथवा किसी नकली आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र में संपरिवर्तित अथवा इस अधिनियम के तहत नियमों की अनुसूची I के अधीन किसी एक श्रेणी के आग्नेयास्त्र को अन्य श्रेणी में तब तक संपरिवर्तित नहीं करेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जारी की गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।
5.	**धारा 8: जिन अग्न्यायुधों पर पहचान चिन्ह न हो, उनके विक्रय अथवा अंतरण का प्रतिषेध**	
	गोलाबारूद पर पहचान-चिन्ह मुद्रांकित करना	***मौजूदा:*** 8(1): कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटरचित करेगा। ***प्रस्तावित:*** 8(1): कोई भी व्यक्ति, किसी आग्नेयास्त्र या गोलाबारूद पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक अथवा पहचान चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा अथवा न कूटरचित करेगा।
6.	**धारा 13: अनुज्ञप्तियों की मंजूरी**	
	निशाना लगाने के अभ्यास हेतु आग्नेयास्त्र	***मौजूदा:*** 13(3): अनुज्ञापन प्राधिकारी – (क) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां कि वह अनुज्ञप्ति – (i)..... (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए पॉइंट 22-बोर राइफल या हवाई राइफल के संबंध में अपेक्षित की जाए**;**

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		प्रस्तावित: 13(3): अनुज्ञापन प्राधिकारी – (क) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी वहां देगा जहां कि वह अनुज्ञप्ति – (i) ..... (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त अथवा मान्यता प्राप्त राइफल क्लब अथवा राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने के अभ्यास हेतु उपयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र के संबंध में अपेक्षित हो;
7.	**धारा 15: अनुज्ञप्ति की अस्तित्वावधि और उसका नवीनीकरण**	
	अनुज्ञप्ति की अवधि	***मौजूदा:*** 15(1): धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति यदि पहले ही प्रतिसंहृत न कर दी जाए तो वह उस तारीख से**,** जिसको वह अनुदत्त की जाए**,** तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी: परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत्त की जा सकेगी यदि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वैसा चाहे या यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे किसी मामले में यह समझे कि अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत्त की जानी चाहिए। ***प्रस्तावित:*** 15 (1) : धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति, यदि पहले ही उसे प्रतिसंहरित न कर दिया गया हो, तो वह उस तारीख से, जब वह मंजूर की जाए, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी: परंतु यह कि ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति अल्प अवधि के लिए मंजूर की जा सकेगी, यदि वह व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति की जरूरत है, ऐसा चाहता है अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी किन्हीं कारणों से, जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		जाएगा, किसी मामले में यह समझता है कि अनुज्ञप्ति अल्प अवधि के लिए मंजूर की जानी चाहिए। परंतु यह और कि धारा 3 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी और अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने अथवा नवीकरण की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष आग्नेयास्त्र तथा संबंधित दस्तावेजों सहित अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा:
8.	**धारा 25: कुछ अपराधों के लिए सजा**	
	सजा में वृद्धि	***मौजूदा:*** 25(1): जो कोई – (क) धारा 5 के उल्लंघन में, किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, या उसे विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा; अथवा ..... वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ***प्रस्तावित:*** 25(1): जो कोई- (क) धारा-5 के उल्लंघन में किसी हथियार अथवा गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख अथवा परिसिद्धि करेगा अथवा विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		प्रस्थापित करेगा अथवा विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख अथवा परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा; अथवा (ख) धारा-6 के उल्लंघन में किसी आग्नेयास्त्र की नाल को छोटा करेगा अथवा किसी नकली आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र में संपरिवर्तित करेगा; अथवा इस अधिनियम के अधीन नियमों की अनुसूची I के अधीन किसी एक श्रेणी के आग्नेयास्त्र को अन्य श्रेणी में संपरिवर्तित करेगा; अथवा (घ) धारा-6 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग अथवा वर्णन के किसी हथियार अथवा गोलाबारूद को भारत में लाएगा अथवा भारत से बाहर ले जाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
	धारा 7 के उल्लंघन में प्रतिषिद्ध हथियारों को अर्जित करने के लिए सजा में वृद्धि	***मौजूदा:*** 25(1क): जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ***प्रस्तावित:*** 25(1क): जो कोई, धारा-7 के उल्लंघन में किसी प्रतिषिद्ध हथियार अथवा प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा अथवा साथ

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		लेकर चलेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। परंतु यह कि जहां ऐसे आग्नेयास्त्र चोरी हो गए हैं या पुलिस अथवा सशस्त्र बलों से बल का प्रयोग करके ले लिए गए हैं, वहां इस अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, की सजा दी जा सकेगी और जर्माना भी लगाया जा सकेगा परंतु यह और कि न्यायालय किसी पर्याप्त एवं विशेष कारणों, जिन्हें निर्णय में दर्ज किया जाएगा, के आधार पर सात वर्ष से कम अवधि के कारावास की सज़ा अधिरोपित कर सकता है।
	धारा 7 के उल्लंघन में प्रतिषिद्ध हथियारों के विनिर्माण/उन्हें अपने कब्जे में रखने के लिए सजा में वृद्धि	***मौजूदा:*** 25(1कक): जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, या उन्हें विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या उन्हें विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ***प्रस्तावित:*** **25(1कक):** जो कोई, धारा-7 के उल्लंघन में किसी प्रतिषिद्ध हथियार अथवा प्रतिषिद्ध गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख अथवा परिसिद्धि करेगा अथवा विक्रय या अंतरण के लिए

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		अभिदर्शित अथवा प्रस्थापित करेगा अथवा विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख अथवा परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
	ट्रेसिंग हेतु हथियारों पर पहचान चिन्ह मुद्रांकित करना	***मौजूदा:*** 25(1ख): जो कोई – (क) धारा 3 के उल्लंघन में, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा; अथवा (ख) से (ज) ..... (झ) ..... या वह स्थान, जहां वे विनिर्मित किए जाते हैं या रखे जाते हैं या वह विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है, बताने से इन्कार करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा: परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास का, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम होगी, दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा। ***प्रस्तावित:*** 25(1ख): जो कोई-

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		(क) धारा-3 के उल्लंघन में कोई आग्नेयास्त्र अथवा गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा अथवा साथ लेकर चलेगा; अथवा (ख) से (ज) ..... (झ) ..... या वह स्थान, जहां वे विनिर्मित किए जाते हैं या रखे जाते हैं या वह विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है, बताने से इन्कार करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा: परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।
	संगठित अपराध सिंडिकेट	***नया:*** 25(6): यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का कोई सदस्य अथवा उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के कब्जे में इस अधिनियम के अध्याय **II** के उपबंधों के उल्लंघन में कोई हथियार या गोला-बारूद है या किसी भी समय उसके कब्जे में है या वह साथ में लेकर चलता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 25(7): जो कोई किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होते हुए अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति: **i)** धारा **5** के उल्लंघन में किसी हथियार या गोलाबारूद का विनिर्माण, अर्जन, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		करेगा, या उसे विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या उन्हें विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा; अथवा **ii)** धारा **6** के उल्लंघन में किसी आग्नेयास्त्र की नाल को छोटी या किसी नकली आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र में संपरिवर्तित करेगा; अथवा इस अधिनियम के अधीन नियमों की अनुसूची **I** के तहत किसी एक श्रेणी के आग्नेयास्त्र को किसी अन्य श्रेणी में संपरिवर्तित करेगा; अथवा **iii)** धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के किसी हथियार या गोला-बारूद को भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण – उप-धारा (6) और (7) के प्रयोजन के लिए, (क) "संगठित अपराध " से किसी व्यक्ति द्वारा, एकल रूप से या संयुक्त रूप से, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या हिंसा के प्रयोग या हिंसा या अभित्रास या प्रपीड़न की धमकी या अन्य विधिविरूद्ध साधनों के प्रयोग द्वारा कोई निरंतर विधिविरूद्ध कार्यकलाप अभिप्रेत है। (ख) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है, जो एकल या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए, किसी

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
		सिंडिकेट या गैंग के रूप में संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं। (ग) "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का जारी रखना" ऐसी गतिविधि को अंजाम देना है, जो फिलहाल लागू विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, जो तीन वर्ष या इससे अधिक के कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध हो तथा जिसे एक संगठित अपराध सिंडिकेट के एक सदस्य के रूप में अकेले या संयुक्त रूप से अथवा किसी ऐसे सिंडिकेट की ओर से अंजाम दिया गया हो, जिसके बारे में पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल किए गए हों और यह भी कि न्यायालय ने इस प्रकार के अपराध का संज्ञान लिया हो।
	अवैध दुर्व्यापार	***नया:*** 25(8): जो कोई धारा 3, 5, 6, 7 और 11 के उल्लंघन में आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के अवैध दुर्व्यापार में शामिल होगा या मदद करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "अवैध दुर्व्यापार" से भारत के भूभाग में, से या के भीतर आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है, यदि आग्नेयास्त्र और गोलाबारूद इस अधिनियम के अनुसार चिन्हित न किए गए हों या उनका दुर्व्यापार इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया जा रहा हो।

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
	आग्न्यास्त्रों का अविवेकपूर्ण और लापरवाहीपूर्ण तरीके से प्रयोग	***नया:*** 25(9): जो कोई हर्ष फायरिंग के लिए या अविवेकपूर्ण और लापरवाहीपूर्ण तरीके से आग्नेयास्त्र का प्रयोग करेगा, जिससे मनुष्य का जीवन या अन्य व्यक्तियों की निजी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण: इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "हर्ष फायरिंग" से सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह आयोजनों तथा गोलाबारूद चलाने हेतु अन्य समारोहों में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने का चलन अभिप्रेत है।
	हथियार को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि	***मौजूदा:*** 27(3): जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को प्रयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा। ***प्रस्तावित:*** 27(3): जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध हथियार या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को प्रयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
10.	**नियम बनाने की शक्ति**	

क्रम सं.	प्रस्तावित संशोधन	
	आग्नेयास्त्र या गोलाबारूद की ट्रेसिंग	**मौजूदा:** **धारा 44(2)(च):** वह रीति, जिससे अग्न्यायुध के निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न उस पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित किया जाएगा; **प्रस्तावित:** **धारा 44(2)(च):** वह रीति, जिससे आग्नेयास्त्र या गोलाबारूद के निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न ट्रेसिंग के प्रयोजन के लिए उस पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित किया जाएगा;